भारतीय स्टेट बैंक और अन्य

बनाम

मैसर्स. एमसंस अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 1709/2007),

18 अगस्त 2011

[न्यायमूर्ति, आफ़ताब आलम और आर.एम. लोधा]

बैंक/बैंकिंगः साख पत्र- अभिनिर्धारित- जहां बैंक का ग्राहक बैंक को साख खोलने का निर्देश देता है, यदि अधिकार पत्र की सटीक शर्तों से हटता है तो वह स्वयं अपने जोखिम पर एेसा करता है- जैसे ही बैंक और विक्रेता के मध्य एक अनुबंध संपन्न होता है त्योहीं बैंक विक्रेता को साख जारी करता है एवं सूचित करता है - एक अप्रतिसंहरणीय साख के तहत साख जारी करने वाला बैंक विक्रेता को सुस्पष्ट एवं बाध्यकारी वचनबद्धता जारी करता है कि वह दस्तावेजों/साख की शर्तों के अनुसरण में भुगतान करेगा - अनुबंधित दस्तावेजों के साथ एक मसौदा विशुद्ध होना चाहिए - यदि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज जो साख की शर्तों का पालन करते हैं तो जारीकर्ता बैंक को अपने दायित्वों का, साख के अधीन है तो का पालन करना चाहिए- त्वरित मामला में, द्वितीय प्रतिवादी ने विक्रेता को 43 लाख रुपये का खरीद आदेश दिया - जारीकर्ता बैंक द्वारा विक्रेता के पक्ष में साख पत्र प्रमाणित/स्थापित किया- साख जारी करने वाले बैंक ने

अनुबंधित साख पत्र के अधीन 'बातचीत करने वाले बैंक' से दस्तावेज प्राप्त किए और और विसंगतियों के बारे में ध्यान आकर्षित किया - विक्रेता द्वारा जारीकर्ता बैंक और सलाहकर्ता बैंक के विरूद्ध मौद्रिक दावा दायर किया - विचारण न्यायालय द्वारा विक्रेता के दावे को अपास्त कर दिया, हालांकि, उच्च न्यायालय ने विक्रेता द्वारा दावा में याचित अनुतोष के अनुसार डिक्री पारित कर- उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को नजरअंदाज व अनदेखा किया गया, जिसमें विक्रेता ने बिल और दस्तावेजों जो संग्रहण के आधार पर दिये गये थे, नकदीकरण स्वीकार कर लिया - उच्च न्यायालय को उक्त मुद्दे पर स्वयं को संबोधित करना आपेक्षित था जिसका निश्चित रूप से मामले के अंतिम परिणाम पर प्रभाव पड़ा - यह अपने अभ्यास को नियंत्रित करने वाले मौलिक नियम का पालन करने में विफल रहा - धारा 96 सीपीसी के तहत क्षेत्राधिकार - जहां प्रथम अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के आदेश को उलट देता है, तो यह अपेक्षित है कि विधि एवं तथ्य से संबंधित सभी विवाद्यकों पर विचार करना आवश्यक है - इस त्रुटि ने उच्च न्यायालय के आदेश को दूषित कर दिया - उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया जाता है और प्रथम अपील को पुनः सुनवाई और नए निर्णय के लिए बहाल कर दिया गया - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा 96।

द्वितीय प्रतिवादी - खरीदार ने प्रथम प्रतिवादी-विक्रेता को 43 लाख रुपये में 2000 मीट्रिक टन सीरियाई रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए

खरीद आदेश दिया। भुगतान की शर्तें 'क्रेडिट पत्र जारी करने के 180 दिनों के विरुद्ध प्रदान की गईं। खरीददार के आग्रह पर, अपीलकर्ता नंबर 1 (जारीकर्ता बैंक) द्वारा 43 लाख रुपये का साख पत्र विक्रेता के पक्ष में प्रमाणित किया गया। अपीलकर्ता सं. 2

सलाहकार बैंक था। विक्रेता ने सामग्री की आपूर्ति की और क्रेता को दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कहा गया। 8 जुलाई 1997 को, भुगतान बाबत जारीकर्ता बैंक ने अनुबंधित दस्तावेज साख पत्र के अधीन बातचीत करने वाले बैंक से प्राप्त किए। उसी दिन, जारीकर्ता बैंक ने बातचीत करने वाले बैंक को विसंगतियों के बारे में बताया कि बातचीत करने वाले बैंक ने शर्तों का उल्लेखित साख पत्र प्रस्तुत नहीं किया । इस प्रकार, जारीकर्ता बैंक ने बातचीत करने वाले बैंक को दस्तावेज़ जमा करने के सात दिनों के भीतर विसंगतियों को सुधारने की सलाह दी। बातचीत करने वाले बैंक और जारीकर्ता बैंक के बीच पत्राचार के माध्यम से जो खामियां बताई गई थी, उन्हें दुरस्त कर दिया गया, बातचीत करने वाले बैंक ने यह रुख अपनाया कि जारीकर्ता बैंक द्वारा अधिसूचित विसंगतियों को ठीक कर दिया गया है और दस्तावेज़ क्रेडिट की आवश्यकता का अनुपालन करते हैं। हालाँकि जारीकर्ता बैंक निरंतर रूप से ज़ोर देता रहा कि दस्तावेज़ असंगत हैं और उसे स्वीकार्य नहीं हैं। विक्रेता ने जारीकर्ता बैंक और सलाहकर्ता बैंक के विरूद्ध मौद्रिक दावा दायर किया। खरीदार को तरतीबी पक्षकार बनाया गया। विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कि जारीकर्ता बैक ने साख पत्र से

संबधित दस्तावेजों को सही रूप से अस्वीकृत किया है और यह निर्णय दिया कि विक्रेता साख पत्र के अधीन किसी भी प्रकार की कोई भी ब्याज की राशि जारीकर्ता बैंक और सलाहकर्ता बैंक से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने यह भी निर्णीत किया कि विक्रेता ने संग्रहण के आधार पर बिल और दस्तावेज का नगदीकरण प्राप्त किया। उपरोक्त निष्कर्षों की रोशनी में विचारण न्यायायल ने विक्रेता के दावे को अपास्त कर दिया। विक्रेता ने उच्च न्यायलाय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्ययालय ने विक्रेता की अपील स्वीकार कर ली। त्वरित अपील उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध पेश की गई थी।

कोर्ट द्वारा अपील का निपटारा करते हुए,

1 अभिनिर्धारित कियाः कानूनी स्थिति इस तरह से है कि दस्तावेजी मसौदा विशुद्ध और साख पत्र के अनुकूल होना चाहिए। यदि प्रस्तुत दस्तावेज जो साख की शर्ताेंं को पालन करते है तोे जारीकर्ता बैंक को अपने दायित्वों का, साख के अधीन है तो का पालन करना चाहिए। [पैरा 13] [446-डी-ई]

यूनाईटेड कमर्सियल बैंक बनाम बैंक ऑफ इण्डिया और अन्य (1981) 2 एस सी सी 766- पर विश्वास

2. जहां बैंक का ग्राहक बैंक को क्रेडिट खोलने का निर्देश देता है, यदि अधिकार पत्र की सटिक शर्तो से हटता है तो वह स्वयं अपने जोखिम

पर ऐसा करता है। जैसे ही बैंक और विक्रेता के मध्य अनुबंध सम्पन्न होता है, त्योही बैक विक्रेता को साख जारी करता है एव सूचित करता है, एक अप्रतिसंहरणीय साख के तहत साख जारी करने वाला बैंक विक्रेता को सुस्पष्ट एवं बाध्यकारी वचन बध्यता जारी करता है कि वह दस्तावेजों/साख की शर्तों के अनुसरण में बनाए गए शर्तों के अनुसार भुगतान करेगा। [पैरा 14, 16] [447-बी, डी]

लार्ड डिपलॉप इन कॉमर्शियल बैंकिंग कम्पनी ऑफ सिडनी लिमिटेड बनाम जलसाड लिमिटेड (1973) एस सी 279- पर संदर्भित

उच्चतम न्ययालय की रिपोर्ट

3. विचारण न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 5 यह विचरित की गई विक्रेता ने संग्रहण के आधार पर बिल और दस्तावेज का नगदीकरण प्राप्त किया, यह नहीं कहा जा सकता कि विवाद्यक संख्या-5 महत्वहीन था अथवा विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अप्रसांगिक था। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या-5 के सम्बंध में दिये गये निष्कर्ष को पूर्ण रूप से हटाया नहीं है न ही इसको उल्टा है और विचार किया है। उच्च न्यायालय जो प्रथम अपीलीय न्यायालय था अपील की सुनवाई करते समय विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को अपास्त करने से पहले विधि एवं तथ्य के समक्ष विवाद्यकों को विचार करना चाहिए था स्वयं को सम्बोधित करना चाहिए था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचारण

न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष काे नजर अन्दाज करके निर्णय में गम्भीर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय को विवाद्यक संख्या-5 को ध्यान करना आवश्यक था जो मामले के अंतिम निर्णय को निश्चित रूप से प्रभावित करता। उच्च न्यायालय धारा 96 सीपीसी के अधिकार क्षेत्र बाबत् आधारभूत नियमों का अनुसरण करने में विफल रहा। जहां प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय को रद्द किया जाता है वहां तथ्य और विधि से सम्बंधित समस्त विवाद्यकों का ध्यान करना अपेक्षित है। यह उच्च न्यायालय के निर्णय के सम्पूर्ण फैसले को दुषित करता है। उच्च न्यायालय का फैसला, कायम नहीं रखा जा सकता। प्रथम अपील को पुनः सुनवाई के लिए और नवीन फैसले के लिए पुनः स्थापित किया जाता है। [पैरा 18, 20, 26, 27] [450-ए, डी, एफ; 452-ई-जी]

संतोष हजारी बनाम पुरूषोतम तिवारी ( निर्णय ) द्वारा एलआरअस (2001) 3 एससीसी 179: 2001 (1) एससिआर 948; मधुकर और अन्य बनाम संग्राम और अन्य (2001) 4 एससीसी 756: 2001 (3) एस सी आर 138; एच के एन स्वामी बनाम इशाद बसीथ (मृत) जरिए उतराधिकारी (2005) 10 एससीसी 243; जगन्नाथ बनाम अरूल्लप्पा और अन्य (2005) 12 एसीसी 303, चिन्तामणी अमल बनाम नन्दगोपाल गौंडर और अन्य (2007) 4 एससीसी 163: 2007 (2) एससीआर 903 - पर निर्दिष्ट किया गया।

हॉल्थबैरी इग्लैण्ड की विधि; डेविस वाणिज्यक साख पत्रों से संबन्धित विधि का द्वितीय संस्करण (पेज 76 पर); पगेट के लाॅ ऑफ बैंकिंग का 8 वां संस्करण (पेज 648 पर) - निर्दिष्ट

संदर्भित फैसलेः

(1981) एस सी सी पर विश्वास पैरा 13

(1973) एसी 279 संदर्भित पैरा 15

2001(1) एससिआर 948 पर विश्वास पैरा 21

2001 (3) एससीआर 138 पर विश्वास पैरा 22

(2005) 10 एससीसी 243 पर विश्वास पैरा 23 (2005) 12 एससीसी 303 पर विश्वास पैरा 24

2007 (2) एससीआर 903 पर विश्वास पैरा 25

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 1709/2007।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील संख्या 225/2002 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.11.2006।

आर. के. सांघी ( अनील कुमार टांडले के लिए ) अपीलार्थी की ओर से।

श्याम दिवान , सी.डी. मुल्लेकर, एस एस खेमखां (पुनित दत त्यागी की ओर से) प्रत्यार्थी की ओर से न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आदेश जरिए

न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आदेश जरिए

न्यायमूर्ति, आर. एम. लोधा - 1. यह सिविल अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध जरिए विशेेष अनुमति फाइल की गई जिसमें प्रत्यार्थी संख्या 1 मैसर्स इमसन्स अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड के प्रथम अपील स्वीकार की गई थी और (प्रथम अतिरिक्त जिला न्ययाधीश, भोपाल) द्वारा पारित आदेश और डिक्री को अपास्त कर दिया और प्रथम प्रत्यर्थी का मौद्रिक दावा डिक्री किया गया ।

2. यूनियालकेम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड - इस अपील में द्वितीय प्रतिवादी (इसके बाद खरीददार के रूप में संदर्भित) ने मेसर्स इमसन्स अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड (इसके बाद विक्रेता के रूप मे संदर्भित है) को क्रय आदेश 2000 मिट्रिक टन सिरिआई रॉक फासफेट की आपूर्ति के लिए 2100 रूपये प्रति मिट्रिक टन कुल राशि 43,86,411/-रूपये का दिया। भुगतान की शर्तें साख पत्र जारी करने के 180 दिवस के विरूद्ध दी गई। 18 जून 1997 को खरीददार की प्रार्थना पर अपीलार्थी संख्या 1 - स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया, इंडस्ट्रियल फाइनेस ब्रांच, भोपाल (इसके बाद 'जारीकर्ता बैंक'

के रूप में संदर्भित) द्वारा विक्रेता के पक्ष में 4386411/-रूपये का साख पत्र जारी किया।

अपीलार्थी संख्या 2- भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा, नई दिल्ली सलाहकार बैंक, विक्रेता ने बिक्री चालान उच्च समुद्र वितरण, लादान बिल के माध्यम सामग्री की आपूर्ति की और खरीददार को यह कहा गया कि दस्तावेज स्वीकार करे।

3. जारीकर्ता बैंक द्वारा जारी साख पत्र में अन्य शर्तो के अलावा निम्नलिखित शर्ते अधिरोपित की गईः

> "..... यह दस्तावेजी साख जो की आपके मसौदा पर बातचीत के अनुसार उपलब्ध है। ड्राफट की अवधि 180 दिन भीतर यूनियालकेम फर्टिलाइलर्स लिमिटेड ई- 5 प्लाट नम्बर 4, रविशंकर नगर, भोपाल पर चालान मूल्य के 100 प्रतिशत के लिए उपलब्ध है, 462016 440 उच्चतम न्ययालय की रिपोर्ट [2011] 10 एस. सी. आर.
>
> दस्तावेजी खण्ड के अंर्तगत तैयार किये गये दस्तावेजी साख नम्बर 0192097 एलसी 00087 भारतीय स्टेट बैंक आैद्योगिक वित्त शाखा, जी आर फलोर एल.एच.ओ. परसिर ओसोगाबाद रोड भोपाल 462011 (भारत) सलंग्न सीट मे

सूचीबद्ध दस्तावेजो के साथ संलग्न सीट के साथ माल के प्रेषण का साक्ष्य ।

आवश्यक दस्तावेज सूची, व्या पारिक विवरण और अन्य निर्देशों के लिए कृपया संलग्न निरतंरता पत्रक देखे जो इस साख का अभिन्न अंग है।

शिपमेन्टः सिरिया से काण्डला, भारत

शिपमेन्ट कि शर्तेः सिआईएफ

आंशिक शिपमेन्टः अनुमति दी गई

परिवहनः अनुमति नहीं

सलाहकार बैंक को निर्देशः

- सभी बैंक शुल्क (जारी करने के अलावा) लाभार्थी के खाते के लिए।

- विसंगत दस्तावेजों को संग्रहण के आधार पर सख्ती से भेजा जाना चाहिए।

- एल / सी नम्बर दर्शाने वाले सभी दस्तावेज 0192097 एल सी 00087 और दिनांक 18.06.97 इस साख के अधीन।

- इस साख के अधीन बातचीत भारतीय स्टेट बैंक तक ही सिमित है, नई दिल्ली, मुख्य शाखा, 11, ससंद रास्ता , पोस्ट बाॅक्स नं. 430 , न्यूदिल्ली- 110008

- सिवाय इसके जहां तक अन्यथा स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये दस्तावेजी शाख सम्मान सीमा शुल्क और प्राथाओं (यू सी पी 1993), अन्तर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ काॅमर्स (प्रकाशक संख्या50 के अधीन)

हम यहां पर इसके द्वारा आदेशक और/अथवा सदभावी धारको के साथ अनुबधं करते है, जो साख की शर्तो के अनुसार मसौदा तैयार करते है और बातचीत करतेे है। प्रस्तुत करने पर उनका युक्तियुक्त सम्मान किया जायेगा और साख की शर्तो के तहत तय किये गये मसौदा का परिपक्वता पर सम्मान किया जायेगा। प्रत्येक मसौदा कि राशी इस साख के रिवर्स पर बातचीत के जरिये बैंक द्वारा अनुमोदित कि जानी चाहिए....."

4. साख पत्र की शर्तो को जून 23 ,1997 को संशोेधन किया गया जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"आवेदक- यूनियालकेम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड फर्टीलाइजर लिमिटेड ई-5 प्लाट रविशंकर नगर भोपाल 462016 हमने आज अपने साख पत्र के शीर्षक में निम्नानुसार संशोधन किया हैः

साख पत्र की प्रथम पेज की द्वितीय पक्ति को ऐसे पढा जाएः आपके मसौदा कि बातचीत 180 दिनों को डिलवरी के दिनांक 18.06.97 से समझा जाए, बजाय वर्तमान के कृपया संलग्न पत्र संख्या में निम्नलिखित संशोधन करे। एल / सी

1. विलोपन किया जाये बिन्दु क्रमांक दो विलोपीत किया जाये, बिन्दु संख्या 4 चैम्बर ऑफ काॅमर्स द्वारा सिरीआई मूल के प्रमाण पत्र के रूप में पढा जाए, बिन्दु संख्या 5 को मौजुदा पढने के बजाय चैम्बर ऑफ काॅमर्स के द्वारा जारी गुणवता और मात्रा के प्रमाण पत्र के रूप में पढा जाए। बिन्दु संख्या 12 पढने के लिए इस पत्र के तहत तैयार किये गये भारतीय स्टेट बैंक मुख्य साखा नई दिल्ली आॅरियेन्टल बैंक ऑफ काॅमर्स, आॅवसीज बैंक नेहरू पैलेस नई दिल्ली बातचीत की जा सकती है।

सभी नियम व शर्ते यथावत रहेगी।"

5. 8 जुलाई 1997 को जारीकर्ता बैंक ने ऑरियटंल बैक ऑफ को

कॉमर्स (बातचीत वाला बैंक) से भुगतान बाबत साख पत्र के अधीन अनुबंधित दस्तावेज प्राप्त किये थे। उसी ही दिन जारीकर्ता बैंक ने बातचीत वाले बैंक को निम्नलिखित विसगंतियों के बारे में बतायाः

(i) बातचीत करने वाले बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र साख शर्तो का पुर्णतः उल्लेख हो को प्रस्तुत नही किया गया;

(ii) चैम्बर आफॅ कॉमर्स द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया

इस प्रकार जारी कर्ता बैक ने बातचीत कर्ता बैक को उपरोक्त विसंगतीयों को दस्तावेज जमा करवाने के बाद 7 दिवस का समय दिया।

6. तत्पश्चात्, 10 जुलाई 1997 और 7 फरवरी 1998 के मध्य जारीकर्ता बैंक और बातचीत करने वाले बैंक के टैलीग्राम और लैटर से पत्राचार हुआ। बातचीत करने वाले बैंक के अनुसार जिन विसंगतियों को जारीकर्ता बैंक ने बताया था उनका सुधार कर लिया गया। साख के अनुसरण मे दस्तावेजात पूर्ण कर लिये गये। दुसरी तरफ जारीकर्ता बैंक इस बात पर जोर दे रहा था कि दस्तावेज विसगंत थे और प्रस्तुत किये गये दस्तावेज स्वीकार्य नहीं थे। दस्तावेज पर जारीकर्ता बैंक की जोखिम और जिम्मेवारी पर थे।

7. यह तब था जब विक्रेता द्वारा जारीकर्ता बैंक और सलाहकर्ता बैंक के विरूद्ध 63,74,356 (मूल राशि 43,86,411 और ब्याज की राशि 19,87,945) मय दावा संस्थित होने से दावा डिक्री 18 प्रतिशत प्रति वर्ष

की दर से कार्यवाही जरिए संक्षेपित वाद फाईल की गई। तत्पश्चात उसी दर से डिक्री की वसूली तक खरीदार को औपचारिक पक्षकार बनाया गया था।

8. जारीकर्ता बैंक (प्रतिवादी संख्या-1) द्वारा विचारण न्ययालय में अपनी प्रतिरक्षा के लिए अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे विचारण न्ययालय ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जारीकर्ता बैंक ने जवाबदावा पेश किया था तथा साख को अस्वीकार करने के अपने कार्यो को निम्नलिखित आधारों न्यायोचित ठहराया गया; (i) चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र सामग्री के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र 30 मार्च 1993 के मूल प्रमाण पत्र से अलग था; (ii) न तो वर्णन अनुसार माल, न मात्रा और वजन का दस्तावेजो से अनुरूप मेल खाता था; (iii) मूल-प्रमाण पत्र एम एम पीसी के पक्ष में जारी किया गया न कि विक्रेता के पक्ष में; (iv) वार्तालाप करने वाले बैंक की प्रार्थना पर दस्तावेजों को रोका गया परन्तु यह सिर्फ सग्रंहण के आधार पर प्रेषण करने के लिए खरीद से सम्मान एकत्र करने के बाद राशि और; (v) यह एक समान रीति रिवाज और प्रथाओं के अनुरूप हो (यू सी पी 500)

9. उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर 5 विवाधक विरचित किये गयेः

"विवाद्यक संख्या - 1 क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 साख पत्र से सम्बंधित दस्तावेजों को

नियम और प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर अनादर किया गया?

विवाद्यक संख्या - 2 क्या आवेदक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से 43,86,411/- रूपये और 18 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का दिये गये साख पत्र के अधीन अधिकारी है ?

विवाद्यक संख्या - 3 सहायता और खर्चा ?

विवाद्यक संख्या - 4 क्या प्रत्यर्थी आवेदक से 14258 रू उठाई - भराई/ संग्रहण / संम्भाल खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

विवाद्यक संख्या - 5 क्या आवेदक ने बिल और दस्तावेज का संग्रहण बाबत नगदीकरण प्राप्त कर लिया ?"

यह निर्धारित किया जा सकता है कि विचारण न्यायालय ने विक्रेता को आवेदक सम्बोधित किया और जारी करता बैंक (प्रतिवादी संख्या - 1) सलाहकर्ता बैंक (प्रतिवादी संख्या -2) को प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 सम्बोधित किया।

10. पक्षकारों ने अपने मामले के समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये।

11. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को देखने के पश्चात् और तर्को को सुनने पश्चात् अभिनिर्धारित किया कि जारीकर्ता बैंक ने सही ढंग से साख पत्र से सम्बंधित दस्तावेजों को स्वीकृत नहीं किया और विक्रेता किसी भी प्रकार की कोई राशि अथवा ब्याज साख पत्र के अधीन जारीकर्ता बैंक व सलाहकर्ता बैंक से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय ने यह भी निर्णीत किया कि विक्रेता ने बिल और दस्तावेज का संग्रहण बाबत नगदीकरण स्वीकार कर लिया। इन निष्कषों की रोशनी में, विचारण न्यायालय ने 4 फरवरी 2002 डिक्री दावे को अपास्त कर दिया।

12. विक्रेता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय और डिक्री के विरूद्ध मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की। उपरोक्त अनुसार, न्यायालय की खण्डपीठ ने विक्रेता की अपील स्वीकार की और दावे में याचित अनुतोष अनुसार डिक्री प्रदान की।

13. कानूनी स्थिति भलीभांति तय है कि दस्तावेजों को सम्मलित करते हुए जो मसौदा बनाया जाता है वह साख पत्रों के अनुरूप ही होना चाहिए। यदि प्रस्तुत किये गये दस्तावेज साख की शर्तो की पूर्ति करते है तो जारीकर्ता बैंक को अपने दायित्व को साख की शर्तो के अनुरूप ही स्वीकार करना चाहिए। यूनाईटैड कॉमसियल बैंक बनाम बैंक आफॅ इण्डिया अन्य में, इस न्यायालय में अंग्रेजी न्यायलयों द्वारा निर्णीत फैसलों का संदर्भ किया गया, हॉर्सबेरी इग्लैण्ड का कानून और प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा

इस विषय पर कुछ पुस्तकों हॉल्थबैरी इग्लैण्ड की विधि, डेविस वाणिज्यक साख पत्रों से संबन्धित विधि का द्वितीय संस्करण (पेज 76 पर) और पेजेर्ट की बैकिग विधि 8 वां संस्करण (पेज 648 पर) -और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जिन दस्तावेजों को विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया साख पत्र की शर्तो की परिपालना में हो और बैंक का यह क्रेता के प्रति दायित्व है कि सुनिशचित करे कि दस्तावेजो के सम्बन्ध मे क्रेता के निर्देशो का पालन किया जाये साख पत्र का सम्मान और अनुपालन किया जाना चाहिए। यह उल्लेखित किया गया था कि माल का विवरण जो लादान बिल से सम्बन्धित है उसी के अनुसार होना चाहिए। यानि समान को समान शब्दो मे ही वर्णीत किया जाना चाहिए भले ही दोनो दस्तावेजों में अलग- अलग वर्णित समान वास्तव मे एक ही हो। न्ययालय ने यह दोहराया था, '..... साख पत्र जारी करने वाला या पुष्टि करने वाला बैंक खरीददार और विक्रेता के अनुबन्ध से सम्बधित नहीं था। साख पत्र के अधीन बैंक का दायित्व दस्तावेजो के अधीन होता है फिर भी मामले में इनके पास साख पत्र में उचित प्रावधानों के अभाव में सीमाओं के अधीन शक्ति होती है। '

14. बैक को साख खोलने का निर्देश देता है, यदि अधिकार पत्र क सटीक शर्तो से हटता है तो वह स्वयं अपनी जोखिम पर ऐसा करता है।

15. लार्ड डिपलॉक ने कॅमर्सियल बैंकिंग कंपनी ऑफ सिडनी लिमिटिड बनाम जलसद प्राइवेट लिमिटेड में रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 286 पर उल्लेख किया गया है कि जारीकर्ता बैंक और संवादकर्ता बैंक इस तथ्य पर निर्णय ले की एक दस्तावेज जो विक्रेता द्वारा दस्तावेज पेश किया गया था जो साख कि शर्तो के अनुरूप था।

16. इस तथ्य पर कोई बल देने की आवश्यकता नहीं है कि एक अनुबंध जारीकर्ता बैंक विक्रेता के मध्य संम्पूर्ण हुआ त्योंही बैंक साख जारी करे और विक्रेता को सूचित करें। एक अप्रतिसंहरणीय साख के तहत साख जारी करने वाला बैंक विक्रेता को सुस्पष्ट एवं बाध्यकारी वचनबद्धता जारी करता है कि वह दस्तावेजों/साख की शर्तो के अनुसरण में भुगतान करेगा।

1. (1981) 2 एससीसी 766

7. युक्तियुक्त उपबन्ध अनुच्छेद 13, 14 तथा 19 युसीपी 500 निम्नानुसार हैः

"अनुच्छेद 13 -

दस्तावेजों के परीक्षण बाबत्

अ बैंक को साख से संबधित समस्त दस्तावेजों की उचित सावधानी से जांच करनी चाहिए। यह निश्चित किया जा सके कि वे साख के नियमों के अनुपालन में प्रतीत होते है या नहीं। साख के नियमों और शर्तो के साथ निर्धारित

दस्तावेज जो जैसा है वैसा दिखाई देता है, जो दूसरे

दस्तावेज के साथ सुभिन्नता रखता है तब वह माना जायेगा कि वह जैसा दिखााई देता वैसा है नहीं। साख की शर्तो में जिन दस्तावेजो को निर्धारित नहीे किया गया है तो बैंक उनकी जांच नहीं करेगा। यदि उन दस्तावेजों को प्राप्त कर लिया जाता है तो प्रस्तुतकर्ता को लौटा दिये जायगें या बिना किसी जिम्मेवारी के आगे बढा देगें।

ब जारीकर्ता बैंक, पुष्टि करने वाला बैंक, यदि कोई हो या उनकी और से कार्य करने वाला कोई नामांकित करने वाला बैक प्रत्येक के पास दस्तावेजो की जांच करने और यह निर्धारित करने के लिए उचित समय होगा जो दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद 7 बैंकिग दिवस से अधिक नहीं होना चाहिए। दस्तावेजों को स्वीकार करे या अस्वीकार करें और तद्नुसार उस पक्ष को सुचित करे उसके दस्तावेज प्राप्त हुए है।

ग . . . . . .

अनुच्छेद 14 -

विसंगतिपूर्ण दस्तावेज और नोटिस

क . . . . . .

ख दस्तावेजों की प्राप्ति होने पर जारीकर्ता बैंक और/या पुष्टि करने वाला बैंक अथवा उनकी अोर से नामांकित बैंक को सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर शर्तो के अनुरूप प्रतीत होने या नही और साख की शर्त उनके सामने निर्धारित करना होगा ओर यदि साख की शर्तो के अनुरूप नहीं पाया गया तो लेने से इनकार कर सकते है। यदि जारीकर्ता बैंक अभिनिर्धारित करता है कि दस्तावेज

साख की नियम और शर्तो की अनुपालन मे नहीं है तो वह एक मात्र निर्णय से विसंगतियों की छुट के लिये आवेदक से सम्पर्क कर सकता है यद्यपि ऐसा नहीं हो सकता है।

ग यदि जारीकर्ता बैंक यह निर्धारित करता है कि दस्तावेज साख के शर्तो व नियमों के अनुपालन मे नहीं है तो वह अपने एक मात्र निर्णय में विसंगतियों कि छुट के लिये आवेदक से संपर्क कर सकता है यद्यपि ऐसा नहीं है उपबन्ध में उल्लेखित अवधि बढाई जाये।

2. (1973) एससी 279

घ i. . . . . .

ii. इस प्रकार की सुचना में समस्त विसंगतियों का उल्लेख होना चाहिए, जिनके संबंध में बैंक दस्तावेजों को अस्वीकार करता है और यह भी उल्लेख होना चाहिए कि वह दस्तावेजो को अपने पास रखे रखा है या प्रस्तुत कर्ता को वापिस लौटा रहा है।

iii. . . . . .

ड़ यदि जारीकर्ता बैंक और/या पुष्टि करने वाला बैंक यदि कोई हो इन अनुच्छेदों में कार्य करने में विफल होता है अथवा दस्तावेजों को अपने पास रखने में या प्रस्तुत कर्ता को लौटाने में, जारीकर्ता बैंक या पुष्टीकर्ता बैंक यदि कोई हो इस क्लेम पर रोक दिया जाएगा कि प्रस्तुत दस्तावेज साख की अनुपालन मे नहीं थे।

च . . . . . .

अनुच्छेद 19 -

बैंक से बेैंक प्रतिपूर्ति की व्यवस्थाएं।

क . . . . . .

ख जारीकर्ता बैंक से अपेक्षित नहीं है कि वह प्रतिपूर्ति बैंक को साख की नियम एवं शर्तों के प्रमाण पत्र के बाबत् पूर्ति करे।

ग . . . . . .

घ . . . . . .

ड़ . . . . . ."

18. उपरोक्त कानून स्थिति की रोशनी में, श्री आर. के. सांघी, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से श्री मान शयाम दिवान, विद्वान अधिवक्ता प्रथम प्रत्यार्थी की ओर से को सुना गया। सुनवाई के दौरान यद्यपि यह मालूम पड़ता है कि उच्च न्ययालय ने अपने 56 पृष्ठ दिये गये फैसले मे विचारण न्ययालय द्वारा दिये गये फैसले का पलटते हुए विवाद्यक संख्या 5 पर न तो पलटा है और न ही इस पर विचार किया है।

19- श्री श्याम दिवान, विक्रेता के विद्ववान अधिवक्ता - प्रथम प्रतिवादी ने इस तथ्य पर स्पष्ट रूप से कहा कि उच्च न्ययालय ने कहा कि उच्च न्ययालय ने विवाधक संख्या 5 के बार में विचारण न्ययालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष पर विचार नहीं किया गया। उन्होने दृष्ठता से आग्रह किया कि एक बार

3. (2001) 3 एससीसी 179

जिन विसंगतियो के आधार पर जारीकर्ता बैंक ने दस्तावेजो को अविष्कार कर दिया, उन्हे दुरूरत कर दिया था। और नगदी करण के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया था जारीकर्ता बैंक साख पत्र को स्वीकृत करने के लिए बाध्य था। जारीकर्ता बैंक द्वारा संस्थित मामला की विक्रेता ने

संग्रह के आधार पर बिल और दस्तावेजो का नगदीकरण स्वीकार कर लिया था, झुठ व तुच्छ था।

20- सुनवाई के दौरान पक्षकारों द्वारा जाहिर विवाद को मध्य नजर रखते हुए हमारे विचार में यह नही कहा जा सकता की तनकी संख्या 5 सारहीन और अप्रसांगिक थी। उच्च न्ययालय प्रथम अपील पर सुनवाई कर रहा था और प्रथम अपिलीय न्ययालय के रूप में उसे विचारण न्ययालय के फैसले को अपास्त करने से पहले तथ्य और विधि केे समस्त मुद्दो पर विचार करना चाहिए था। उच्च न्ययालय का निर्णय गम्भीर त्रुटि से ग्रस्त है क्योंकि उसने विवाद्यक संख्या 5 पर विचारण न्ययालय के निष्कर्ष को नजर अन्दाज कर दिया कि विक्रेता ने संग्रह के आधार पर बिल और दस्तावेजो का नगदीकरण स्वीकार कर लिया था। उच्च न्ययालय द्वारा विवाधक संख्या 5 के सम्बन्ध पर विचार करना आवश्यक था जो मामलात को अन्तिम रूप से प्रभावित करता।

21- संन्तोष हजारी बनाम पुरोषतम तिवारी (मृतक) जरिये उतराधिकारीगण '3' इस न्ययालय ने अभिनिर्धारित किया (188-189) निम्नानुसार हैः

> "..... अपीलीय न्ययालय के पास विचारण न्ययालय द्वारा दिये गये निष्कर्षो को उलटने या पुष्टि करने की अधिकारिता है। प्रथम अपील पक्षकारों का मूल्यवान अधिकार है और

जब तक कि कानून द्वारा प्रतिबन्दीत न हो, पूरा मामला तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर पुनः सुनवाई के लिए खुला है। अपीलीय न्ययालय के निर्णय में सचेत रूप से दर्शित होना चाहिए और सभी विवादों के साथ उत्पन होने के सभी मुद्दो, पक्षकारो द्वारा दिये गये तर्को का कारण सहित निष्कर्ष देवें। ...किसी तथ्य के निष्कर्ष को उलटते समय अपीलीय न्ययालय को विचारण न्ययालय द्वारा दिये गये तर्को पर नजदीक से गहनता पूर्वक मनन करना चाहिए और अपने भिन्न निष्कर्ष पर पहुचने के लिए अपने स्वय के कारण बताना चाहिए। इससे अगली अपील सुनवाई वाला न्ययालय संतुष्ट हो जायेगा कि प्रथम अपीलीय न्ययालय ने आशा के अनुरूप कर्तव्य का निर्वहन किया है ....."

22. तीन न्यायधीश पीठ ने उपरोक्त दृष्टिकोण का मधुकर और अन्य बनाम संग्राम और अन्य 4, इस न्ययालय तीन न्ययाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा पालन किया गया है, जिसमें यह दोैराहया गया था कि प्रथम अपीलीय अदालत,यह उच्च न्ययालय का कर्तव्य है कि सभी मुद्दो पर विचार करे और पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अपने निर्णय पर निष्कर्ष पर पहुचने से पूर्व विचार मे लाये ।

23- एच. के. एन. स्वामी बनाम इर्शाद बसीथ (मृतक) जरिये उतराधिकारीगण 5' इस न्ययालय ने (पृष्ठ संख्या 243/244) इस प्रकार कहाः

'' प्रथम अपील तथ्यो के साथ साथ विधि के आधार पर भी निर्णीत किया जाना है। प्रथम अपील

4 (2001) 4 एस सी सी 756

5. (2005) 10 एस सी सी 243

6. (2005) 12 एस सी सीर 163

में पक्षकारों को विधि एवं तथ्य दोनों को पहलुआेंं पर सुने जाने का अधिकार है और प्रथम अपीलीय न्ययालय से यह अपेक्षीत है कि सभी विवाधकों पर स्वयं विचार करे और कारण दर्शाते हुए मामले का निपटारा करे। दुर्भाग्य से, उच्च न्ययालय ने वर्तमान मामले में कोई निष्कर्ष न तो तथ्य पर न हीे विधि पर दर्ज किया प्रथम अपीलीय न्ययालय के रूप में बैठकर उच्च न्ययालय का कर्तव्य है कि वह शीर्षक के सम्बन्ध में निष्कर्ष दर्ज करने से पहले सभी विवाधको का और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करे....."

24. पुनः जगन्नाथ बनाम अरूलल्प्पा और अन्य 6 धारा 96 सी पी सी 1908 के क्षेत्र पर विचार करते हुए इस कोर्ट ने (पृष्ठ 303 व 304 ) पर यह पाया किः

> "2. प्रथम अपीलीय न्यायालय सम्पूर्ण साक्ष्य को पुनः मूल्यांकन कर सकती है। और एक भिन्न निष्कर्ष पर आ सकती है। वर्तमान मामले मे हम पाते है कि उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए कई निष्कर्षो को फेरा नहीं या उदाहरण के लिए, प्रत्यार्थी द्वारा दायर वाद को खारिज करते हुए, विचारण न्यायालय ने विवाधक संख्या 5 पर यह निष्कर्ष दर्ज किया था कि प्रतिवादी - अपीलार्थी ने आवेदन संख्या 137/1980 वास्तविक दावा संख्या 224/1978 से संबधित है, में वास्तव मे वादादीन सपतियों का कब्जा ले लिया था। उक्त निष्कर्ष को बिना पलटै उच्च न्यायालय ने साधारणतः अपील स्वीकृत की ओर वादी - प्रत्यार्थी द्वारा दायर किये गये दावे को पुर्णरूप से डिक्री किया। इसी तरह अन्य मुद्दो को भी जिनको विचारण न्यायालय ने दर्ज किया था, उच्च न्यायालय ने अपास्त नहीं किया गया। उच्च न्ययालय के समक्ष अपील मे शामिल बिन्दुओं, विचारण न्ययालय द्वारा

दर्ज किये गये निष्कर्षो , साक्ष्य अभिवचनो पर गहरा विचार किया जाना अपेक्षित था। "

25- इस न्यायालय द्वारा निर्णीत मामला जगन्नाथ 6 और एच के एन स्वामी[5] विचार मे लाया गया पश्चात्वर्ती चितामणी अम्मल बनाम नन्द गोपाल गौण्डर और अन्य[7]।

26- हमारे विचार में, उच्च न्ययालय धारा 96 सीपीसी 1908 के अधीन अपने अधीकार क्षेत्र को शासित करने वाले मूलभूत नियम की पालना करने मे विफल रहा जहा प्रथम अपीलय न्ययालय के विचारण न्ययालय के नियम को पलट देता है तो ये अपेक्षित है कि वह कानूून और तथ्य के सभी मुद्दो पर विचार करेगा। इस त्रुटि से उच्च न्ययालय का निर्णय पूर्ण रूप से दुषित हो जाता है इसलिए उच्च न्ययालय का फैसला कायम नहीं रखा जा सकता है।

27- उपरोक्त कारणों से, हम अपील स्वीकार करते है उच्च न्ययालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते है प्रथम अपील सख्या 225/2002 पुनः सुनवाई हो पुनः निर्णय के लिए पुनः स्थापित करते है। पक्षकार प्रथम अपील की सुनवाई के समय अपने तर्को को रखने के लिए स्वतंत्र रहगें। पक्षकार अपना खर्चा स्वंय वहन करेगा।

अपील का निपटारा

7. (2007) 4 एस सी सी 163

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेश्वरी बरोड़ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।